संचिका संख्या- 11/विविध - 6-18/2013

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन में निहित कंडिकाओं यथा 8.1.3 में जल संसाधन विभाग के प्रमंडलों की कार्यकुशलता अंकेक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि पश्चिमी तटबंध प्रमंडल कुनौली शिविर वीरपुर में रूपया 117.94 करोड़ (ISBD/2009-10) तथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार में रूपया 8.31 करोड़ (ISBD/2010-11) का कार्य जे०के०एम०इन्फ्रा प्रो०प्रा०लि०, नई दिल्ली को उनके डिबार अवधि (अगस्त 2009 और अप्रैल 2010) में आवंटित किया गया है, जो नियमसंगत नही बताया गया है । इस बिन्दु पर महालेखाकार द्वारा विभाग से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया साथ ही इस पर प्रतिवेदन प्रेषित करने के पूर्व संबंधित संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव दिया गया ।

उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में जे०के०एम०इन्फ्रा प्रो०प्रा०लि०, नई दिल्ली के निबंधन को काली सूची में डाले जाने के कार्रवाई के क्रम में विभागीय पत्रांक- 3449 दिनांक - 26.06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं विभागीय पत्रांक -5272 दिनांक 26.09.2013 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया किन्तु स्मार पत्र बिना तामिला के वापस लौट आया । तत्पश्चात संवेदक का स्पष्टीकरण दिनांक 25.03.2014 को प्राप्त हुआ ।

संवेदक से पूछे गये स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल कटिहार के पत्रांक 765 दिनांक 04.06.2009 द्वारा जे०के०एम०इन्फ्रा प्रो०प्रा०लि०, नई दिल्ली को डिफॉल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया था । संवेदक दिनांक 04.06.2009 से 31.12.2010 तक की अवधि में अगली निविदा में भाग लेने से वंचित थे । फिर भी इस अवधि में संवेदक द्वारा पश्चिमी कोशी तटबंध प्रमंडल कुनौली, शिविर, वीरपुर तथा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार के अधीन निविदा में भाग लेकर कार्य प्राप्त किया गया । जिसका उल्लेख महालेखाकार बिहार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है ।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि पथ प्रमंडल कटिहार से डिबार करने के संबंध में उन्हें कोई कारण पृच्छा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, जो बिहार सरकार के आदेश संख्या 2131 दिनांक 13.03.2009 के अनुसार वाध्यकारी है । साथ ही यह भी कहा गया है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित डिफॉल्टर संवेदक की सूची में जे०के०एम०इन्फ्रा प्रो०प्रा०लि०, का नाम नहीं है । वस्तुतः कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण प्रमंडल कटिहार के पत्रांक 765 दिनांक 04.06.2009 में मे० के०के०एल०इन्फ्रॉ प्रो०प्रा०लि० डिबार है न कि जे०के०एम०इन्फ्रॉ प्रो०प्रा०लि० । जिसकी जानकारी उन्हें नहीं

थी । जून 2009 से 2010 के बीच पथ निर्माण प्रमंडल कटिहार के द्वारा चार (4) कार्य आवंटित किये गये । उनके द्वारा डिबार अवधि में कभी भी गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने संबंधी कथन सत्य नहीं है ।

संवेदक के स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल कटिहार से कंपनी के नाम के संबंध में स्पष्ट जानकारी के लिए विभागीय पत्रांक 1352 दिनांक 28.03.2014 के द्वारा पत्रांक 765 दिनांक 04.06.2009 की प्रति की मांग की गई । इस संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, कटिहार द्वारा उनके पत्रांक 765 दिनांक 04.06.2009 की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि डिबार की गई कंपनी का नाम जे०के०एम०इन्फॉ प्रो०प्रा०लि०, सी-84, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली -48 है । इस पत्र में यह भी उल्लेख है कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2131 दिनांक 13.03.2009 के आलोक में डिबार करने के पूर्व उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया था ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जे०के०एम०इन्फॉ प्रो०प्रा०लि०, सी०-84, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली -48 पथ निर्माण विभाग में दिनांक 04.04.2009 से 31.12.2010 तक डिबार रहे । इस अवधि में उनके द्वारा गलत शपथ पत्र दिया गया और इस विभाग में निविदा देकर कार्य प्राप्त किया गया । संवेदक का यह कृत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम- 11 (VII) के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है, अतएव इस कदाचार के लिए संवेदक जे०के०एम०इन्फॉ प्रोजेक्टस प्रा०लि०, सी०-84 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-48 के निबंधन संख्या 09/2009 (प्रथम श्रेणी) को काली सूची में डाला जाता है ।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- जे०के०एम०इन्फॉ प्रोजेक्टस प्रा०लि०, एम०डी०- श्री आर० के जलान, सी-84, ग्रेटर कैलाश-1, न्यू दिल्ली-110048 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक 2736 दिनांक 23.06.14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना /प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग /सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / सचिव, भवन निर्माण विभाग / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग /अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल 2/3/4, बाढ़ मोनिटरिंग अंचल, पटना /निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन /अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-19) /प्रशाखा पदा०-19, आई०टी० मेनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित ।

23/06/14

अभियंता प्रमुख (मध्य)